भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 358

02 **दिसंबर**, 2025 **को उत्तरार्थ**

विषय: पीएम-किसान सम्मान निधि में विसंगति

358. श्री बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रेः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के अंतर्गत कई राज्यों में अपात्र व्यक्तियों को लाभ प्रदान किए गए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो राज्य-वार ऐसे कितने अपात्र लाभार्थी हैं और कितनी राशि वितरित की गई है;

(ग) उपरोक्त विसंगति की जाँच के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और अपात्र लाभार्थियों से राशि वसूलने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई है;

(घ) अब तक वसूल की गई राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का भविष्य में इस योजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और सत्यापन प्रक्रिया को और मजबूत करने का विचार है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख): पीएम-किसान योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा फरवरी 2019 में कृषि योग्य भूमिधारक किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु शुरू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ अंतरित किया जाता है। पीएम-किसान योजना के अंतर्गत, योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कृषि योग्य भूमिधारण प्राथमिक पात्रता मानदंड है, जो कुछ उच्च आर्थिक स्थिति से संबंधित अपवर्जन मानदंडों के अधीन है।

किसान-केंद्रित डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर ने यह सुनिश्चित किया है कि इस योजना का लाभ देश भर के सभी किसानों तक बिना किसी मध्यस्थ की भागीदारी के पहुँचे। लाभार्थियों के पंजीकरण और सत्यापन में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखते हुए, भारत सरकार ने योजना की शुरुआत से अब तक 21 किस्तों में ₹4.09 लाख करोड़ से अधिक की राशि वितरित की है।

इस योजना में किसानों का पंजीकरण और उनका सत्यापन एक सतत प्रक्रिया है। किसान पीएम-किसान पोर्टल, पीएम-किसान ऐप और कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से अपना पंजीकरण करा सकते हैं। ऐसे सभी आवेदनों को संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उचित सत्यापन के बाद अनुमोदित किया जाता है।जिन मामलों में आवेदक द्वारा आवश्यक दस्तावेज़/विवरण उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं, उन मामलों में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है। राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अनुमोदन प्राप्त होने के बाद, विभाग द्वारा तुरंत लाभ की प्रक्रिया शुरू की जाती है और अगली किस्त में यह राशि जारी कर दी जाती है। इसके अलावा, इस योजना के तहत लैंड सीडिंग, आधार-आधारित भुगतान और ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिए गए हैं। जिन किसानों ने ये अनिवार्य मानदंड पूरे नहीं किए, उनको मिलने वाले लाभ रोक दिए गए। जब ये किसान अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा कर लेते हैं, तो उन्हें योजना का लाभ मिलने लगता है।

(ग) से (ङ): सरकार ने पूरे देश में पीएम-किसान योजना के तहत अपात्र या डुप्लीकेट लाभार्थियों की पहचान करने के लिए कई कदम उठाए हैं। पीएम-किसान योजना के तहत लाभ, पीएम-किसान पोर्टल पर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उपलब्ध कराए गए सत्यापित आंकड़ों के आधार पर, डायरेक्ट बेनेफ़िट ट्रांसफ़र (डी.बी.टी.) के माध्यम से लाभार्थियों को ट्रांसफर किया जाता है। कार्यान्वयन में पारदर्शिता एवं दक्षता सुनिश्चित करने के लिए, पी.एफ.एम.एस. (PFMS), यू.आई.डी.ए.आई. (UIDAI) और आयकर विभाग के साथ एकीकरण सहित कई तकनीकी हस्तक्षेप किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, केवल पात्र किसानों तक लाभ पहुँचाने के लिए लैंड सीडिंग, आधार-आधारित भुगतान और ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया गया है।

पीएम-किसान डेटाबेस का मिलान पीडीएस राशन कार्ड डेटाबेस, यू.आई.डी.ए.आई. (UIDAI) अभिलेखों (जिसमें मृत्यु के कारण निष्क्रिय किए गए आधार भी शामिल हैं) तथा पी.एफ.एम.एस. (PFMS) और आयकर डेटा के साथ भी किया जाता है, ताकि दोहराव (डुप्लीकेशन) न हो। जिन मामलों में एक ही परिवार के एक से अधिक सदस्य पंजीकृत पाए गए, तथा जिनमें भूमि के मूल स्वामी की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के माध्यम से भूमि हस्तांतरण होने पर पूर्व तथा वर्तमान दोनों भू-स्वामियों को पंजीकृत पाया गया, वहाँ लाभ भी रोके गए।

राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को उच्च आय वर्ग जैसे आयकरदाता, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारी, राज्य/केंद्र सरकार, संवैधानिक पद धारक आदि के कारण चिह्नित अपात्र किसानों को अंतरित किसी भी राशि की वसूली करने का अधिकार है। देश भर में अब तक अपात्र लाभार्थियों से 416.75 करोड़ रुपये की राशि वसूल की गई है।

*****